



132648 - रेहन की वैधता की हिकमत (तत्वदर्शिता)

प्रश्न

इस्लाम में रेहन की आवश्यकता का क्या कारण है ?

विस्तृत उत्तर

हर प्रकार की प्रशंसा और गुणगान केवल अल्लाह तआला के लिए योग्य है।

हर प्रकार की प्रशंसा और गुणगान अल्लाह के लिए योग्य है।

शरीअत में रेहन : उस धन को कहते हैं जिसे कर्जका दस्तावेज़ और प्रमाण पत्र करार दिया जाता है, ताकि अगर जिस आदमी पर कर्ज है उस से कर्जकी प्राप्ति असंभव हो जाये तो उस (रेहन) के मूल्य से कर्जका भुगतान कर लिया जाये।

रेहन पवित्र कुरआन, सुन्नत (हदीस) और विद्वानों की सर्वसम्मति से जाइज़ है।

चुनाँचि पवित्र कुरआन से इस का सबूत अल्लाह तआला का यह फरमान है : "अगर तुम यात्रा पर हो और (कर्जके मामले को) लिखने वाला न पाओ तो रेहन रख लिया करो।" (सूरतुल बक्रा : 283)

तथा सुन्नत (हदीस) से इस का प्रमाण यह हदीस है कि : "नबी सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने एक यहूदी से एक अवधि तक के लिए गल्ला खरीदा और उस के पास लोहे की एक कवच गिरवी रख दी।" (सहीह बुखारी हदीस संख्या : 2068, सहीह मुस्लिम हदीस संख्या : 1603)

तथा रेहन के जाइज़ होने पर विद्वानों का इत्तिफाक (सर्वसम्मति) है।

देखिये : "अल-मुग़नी" (4/215), "बदायेउस्सनाये" (6/145), "मवाहिबुल जलील" (5/2), "अल-मौसूअतुल फिक्रिहय्या" (23/175-176)

तथा फुक़हा इस बात पर एक मत हैं कि रेहन जाइज़ मामलों में से है और यह कि वह अनिवार्य नहीं है।

इब्ने कुदामा "अल-मुग़नी" (4/215) में कहते हैं :

"रेहन वाजिब नहीं है। इस बारे में हम किसी मतभेद करने वाले को नहीं जानते हैं।"



अतः : कर्ज देने वाले के लिए जाइज़ है कि वह कर्ज दार से रेहन न ले।

तथा रेहन को धर्म संगत किये जाने की हिकमत (तत्वदर्शिता) : यह है कि वह उन साधनों में से है जिस के द्वारा कर्ज देने वाला आदमी अपने कर्जको मज़बूत (प्रमाणित) कर देता है, चुनाँचि अल्लाह तआला ने जिस तरह कर्जको लिख कर पक्का (प्रमाणित) करने का हुक्म दिया है उसी तरह उसे रेहन के द्वारा प्रमाणित और मज़बूत करने का हुक्म दिया है।

जब कर्जकी अदायगी का समय आ जाये, और कर्ज दार कर्जकी अदायगी से इंकार कर दे, या असमर्थ हो जाये, तो रेहन रखी हुई चीज़ को बेच दिया जायेगा और कर्ज देने वाला अपने हक़ को ले लेगा, और अगर उसके मूल्य में से कुछ बाकी बच जाता है तो उसे कर्ज दार को वापस लौटा दिया जायेगा।

रेहन इस शरीअत के गुणों और अच्छे तत्वों में से है, क्योंकि इस में कर्ज दार और कर्ज देने वाले दोनों का एक साथ हित निहित है।

इस का उल्लेख इस प्रकार है कि : कर्ज देने वाला रेहन के द्वारा अपने हक़ को पक्का और मज़बूत कर लेता है, और यह उसे अपने मुसलमान भाई को कर्ज देने पर प्रोत्साहित करता है, अतः : कर्जका इच्छुक भी इस से लाभान्वित होता है, क्योंकि वह किसी कर्ज देने वाले को पा जायेगा।

और अगर रेहन को रोक दिया जाये, तो बहुत से लोग अपने धनों के नष्ट हो जाने के भय से कर्ज देने से रुक जायेंगे।

देखिये : "अश्शर्हुल मुम्ते" (9/121)

और अल्लाह तआला ही सर्व श्रेष्ठ ज्ञान रखता है।